

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। चूँकि दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती हैं। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है.सं.)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है.सं.)
नूका	462	खैरातुल्लाह पुत्र फौजदार आमिर खान सा. हेडक्वार्टर खाता बहालूर	259 278 306	7.95	खैरातुल्लाह पुत्र फौजदार आमिर खान सा. हे. खाता बहालूर	259 278 306	7.95

(Signature)
शिद्विर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :- 18/11/21

क्रमांक :- 981

प्रतिनिधि पालाख :-

उप तहसीलदार, मौलासर

(Signature)
शिद्विर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालाख :-

उप तहसीलदार, मौलासर को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उप तहसीलदार, मौलासर